who attained the age of 65 years on 3-3-199S, has been requested to continue in office til his successor takes over.

(c) The process for appointment of Vice-Chancellor is at an advanced stage.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

7496. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती और प्रोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित मानदंडों के कथित उल्लंघन के सिलसिले में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कु० शैलजा): (क) और (ख) दिनांक 28.6.94 के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित एक समाचार में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती तथा प्रोन्नति में आरक्षण के मानदण्डों के कथित उल्लंघन के कुछ मामले बतलाए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की तथा इस बात से सन्तुष्ट थी कि आरक्षण के मानदण्डों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के विनियमनों में इस अपेक्षा को सम्मिलित करके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इनका अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है। निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अनुमोदन से इस प्रकार के आरोपों की जांच करने तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में उप सचिव के स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में, जो एक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है, एक अनुसूचित जाति/जनजाति सैल का गठन बहुत पहले ही किया गया है।

गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

7497. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले और काम्कामजी बच्चों को मूल प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पुनः तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बालिका शिक्षा के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता में बढ़ोतरी की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में राज्य-वार राशि में किस सीमा तक वृद्धि की गई है;

(ङ) क्या विद्यार्थियों को गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली से औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कितने स्वैच्छिक संगठन मदद कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कु० शैलजा): (क) अभी हाल ही में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की आठवीं योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु संशोधित तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है।

(ख) संशोधित अनौपचारिक शिक्षा योजना में बालिकाओं की शिक्षा तथा बालिका अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की प्रतिशतता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले लागत मानकों में वृद्धि कर दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1994-95 के 131.27 करोड़ रु० की तुलना में 1995-96 में बजट प्रावधान 158.50 करोड़ रु० है। राज्यों को प्रदत्त निधियां प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित हैं।